न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 12/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1–श्री ओमप्रकाश पुत्र काल्या
2–सन्तीबाई पुत्री काल्या
3–हेमबाई बेवा काल्या जाति जाट निवासीगण फतेहपुर तहसील बारां

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री असलम भारती, अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 09.02.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी खसरा नं0 2106 रकबा 0.19 है0, किस्म नहरी II वाके ग्राम फतेहपुर तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात के सेटलमेंट संवत् 2015–24 में साबिक खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाला रहे है। खसरा नं0 2106 रकबा 0.19 है0, आराजी सम्वत् 2064–67 जमाबन्दी में खातेदार ओमप्रकाश पुत्र काल्या, सन्तीबाई पुत्री काल्या, हेमबाई बेवा काल्या कौम जाट सा0 देह के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा सेटलमेंट बन्दोबस्त सम्वत् 2015–24 में गै0मु0 नाला दर्ज है। जिसका आवंटन/नियमन मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल [illegible]चिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:34 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा दिनांक 14.09.2015 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थीगण अभिभाषक ने जवाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नं0 2095 खालवाला रकबा 0.47 है0, ख0नं0 2096 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 2097 रकबा 0.53 है0 ख0नं0 2106 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 2344/2110 रकबा 0.16 है. कुल 1.44 है. वाके माल फतेहपुर तहसील बारां में अवस्थित है जो अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की है उक्त आराजी अप्रार्थीगण को विरासतन प्राप्त हुई है उक्त आराजी समतल है और नहर से सिंचाई होती है उक्त आराजी बाबत सरकार द्वारा आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सर्वथा गलत है। उक्त आराजी वर्तमान में खाल नाल तलाई की श्रेणी में नहीं है ओर वर्तमान स्थिति में बिल्कुल समतल जमीन है जहां पर पानी का ठहराव नहीं है। उक्त भूमि वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। अप्रार्थीगण के पास उक्त आराजी के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि नहीं है और कोई आय का साधन नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को काश्त करके अपना जीवन यापन कर रहे है। उक्त आवंटन यदि निरस्त कर दिया गया तो अप्रार्थीगण को भारी क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

4— प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्धान पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक की सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को ग्राम फतेहपुर की आराजी साबिक खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला में से भूमि आवंटन/नियमन हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु. नाला थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नं0 2106 रकबा 0.19 है0, बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जिसकी किस्म किस्म नहरी II दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। उक्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा भूमि का मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को आवंटन हुआ है। जिसके तहतं खोले गये इंतकाल व दी गई खातेदारी के विरूद्ध रेफरेन्स की कार्यवाही नही की जा सकती। राजस्व कानून के अंतर्गत खातेदारी दी गई भूमि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की जा सकती। विवादित आराजी वर्तमान में खाल नाल तलाई की श्रेणी में नहीं है ओर वर्तमान स्थिति में बिल्कुल समतल जमीन है जहां पर पानी का ठहराव नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से बाहर जाकर की है अप्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है उक्त आराजी के अतिरिक्त अप्रार्थीगण के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, बारां द्वारा 45 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन/नियमन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रक्रिया के तहत आवंटन/नियमन हुआ है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

7– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 2196 [illegible] किस्म नहरी II बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस [illegible] गेन्दीलाल कौम जाट को जिस वक्त भूमि आवंटन/[illegible] विवादित आराजी गै.मु. नाला खाता सरकार दर्ज थी, जो [illegible] नहीं थी। मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन [illegible] विरूद्ध हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:34 IST
Reason: SelfAttested

8– अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को आवंटन/नियमन आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा सेटलमेंट

पूर्व सम्वत 2015–24 में 1130 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा किस्म गै.मु. नाला खाता सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.19 है0. किस्म नहरी II बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. नाला दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम फतेहपुर में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.19 है0, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 1130 रकबा 1 बीधा 18 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला से बना है जिसका मोतीलाल वल्द गेन्दीलाल कौम जाट को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

10– तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम फतेहपुर तहसील–बारां की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 09.02.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:39:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां